कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश: दक्षिण-पश्चिम जिला
द्वारका न्यायालय, नई दिल्ली

नीलामी सूचना

जिला न्यायालय द्वारका के बेसमेंट-२ में बेकार पड़ी वस्तुओं की नीलामी 04.04.2024 को दोपहर 02:00 बजे डी- विंग, भूतल में **"जैसा है जहाँ है के आधार"** पर की जाएगी। नीलाम की जाने वाली वस्तुऐं एवं उनका आरक्षित मूल्य इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	वस्तुओं का विवरण	मात्रा	आरक्षित मूल्य नीलामी (प्रति पीस)	कुल राशि
1	आगंतुक कुर्सियाँ	600	160/-	96000/-
2	लकड़ी की कुर्सियाँ	75	140/-	10500/-
3	घूमने वाली कुर्सियाँ (कंप्यूटर कुर्सी)	150	150/-	22500/-
4	बेंच (लोहा)	100	550/-	55000/-
5	क्लर्क टेबल (लोहा)	90	380/-	34200/-
6	हॉट केस	20	150/-	3000/-
7	टेबल डेस्क	25	120/-	3000/-
8	ऑफिसर रिवॉल्विंग कुर्सी	20	300/-	6000/-
9	सोफा	05	600/-	3000/-
10	नोटिस बोर्ड	25	100/-	2500/-
11	दीवार घड़ी	25	10/-	250/-
12	टेबल लैंप	05	25/-	125/-
13	फोटोकोपिएर मशीन	04	2000/-	8000/-
			कुल	**244075/-**

उपरोक्त निष्क्रिय/बेकार वस्तुओं की नीलामी के दिन यानि 04.04.2024 को दोपहर 12:30 बजे से पहले प्रतिभागी को **आरक्षित मूल्य का 25%** (वापसी योग्य) अपनी फोटो पहचान पत्र की एक प्रति के साथ शाखा प्रभारी, देख-रेख शाखा, 104-A, प्रशासनिक खण्ड, द्वारका न्यायालय, नई दिल्ली को जमा करने होंगे। सफल बोली लगाने वाले से बोली स्वीकार होने पर कुल नीलामी मूल्य का २५% नकद वसूल किया जाएगा। बेकार वस्तुओं को नियम एवं शर्तों के अनुसार न्यायलय परिसर से हटाना होगा।

इच्छुक बोलीदाता किसी भी कार्य दिवस प्रर दोपहर 02:00 बजे से 04:00 बजे के बीच वस्तुओं का निरीक्षण कर सकता है। अन्य जानकारी देख-रेख शाखा, द्वारका न्यायालय, नई दिल्ली से एकत्र की जा सकती है, नियम और शर्तें लागू। प्रतिभागी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट यानी www.delhidistrictcourts.nic.in पर जा सकते हैं। नीलामी नीचे दिए गए नियमों और शर्तों के अधीन होगी और इसकी घोषणा मौके पर ही की जाएगी।

पंकज गुप्ता

(पंकज गुप्ता)
अध्यक्ष, निराकरण बोर्ड
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दक्षिण-पश्चिम जिला, द्वारका न्यायालय, नई दिल्ली।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश: दक्षिण-पश्चिम जिला
द्वारका न्यायालय, नई दिल्ली

नियम व शर्तें

1. निष्क्रिय/बेकार वस्तुओं की नीलामी 04.04.2024 को दोपहर 02:00 बजे डी- विंग, भूतल, द्वारका कोर्ट में **"जैसा है जहाँ है के आधार"** पर की जाएगी।
2. सभी निष्क्रिय/बेकार वस्तुओं का आरक्षित मूल्य रूपए **244075/-** निर्धारित किया गया है।
3. बोली लगाने वाले को आरक्षित मूल्य का 25% (वापसी योग्य) अपनी फोटो पहचान पत्र की एक प्रति के साथ शाखा प्रभारी, देख-रेख शाखा, द्वारका न्यायालय, नई दिल्ली को दिनांक 04.04.2024 दोपहर 12:30 बजे से पहले जमा करने होंगे।
4. सफल बोलीदाता को नियम २२०(iv) एफ जीएफआर-२०१७ के अनुसार बोली की स्वीकृति पर बोली मूल्य का २५% नकद जमा करना होगा।
5. कुल नीलामी मूल्य योग्य बोलीदाता द्वारा **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, (दक्षिण-पश्चिम), द्वारका कोर्ट, नई दिल्ली** के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट के रूप में तीन कार्य दिवसों (बैंक अवकाश को छोड़कर) के भीतर जमा किया जाएगा। अप्राप्ति के मामले में, जमा राशि का २५% जब्त कर लिया जाएगा।
6. भुगतान जमा होने के सात दिन के भीतर निष्क्रिय/बेकार वस्तुएँ न्यायालय परिसर से हटा दी जानी चाहिए अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
7. निष्क्रिय/बेकार वस्तुओं को द्वारका न्यायालय परिसर से हटाने के लिए सफल बोलीदाता स्वयं श्रमिक और परिवहन की व्यवस्था करेगा और ऐसे परिवहन का खर्च उसके द्वारा ही वहन किया जाएगा।
8. निराकरण बोर्ड का निर्णय बोली लगाने वाले के लिए बाध्यकारी होगा और वह बिना कोई कारण बताए नीलामी रद्द कर सकता है।
9. निराकरण बोर्ड नीलामी की कार्यवाही के समय किसी भी नियम और शर्तों को जोड़ने या हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यह सभी बोलीदाताओं/ प्रतिभागियों के लिए बाध्यकारी होगा।
10. सामान को एक लॉट में या एक-एक करके नीलाम किया जा सकता है और बिना कोई कारण बताए, किसी भी या उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार इस कार्यालय के पास सुरक्षित है।

पंकज गुप्ता

(पंकज गुप्ता)
अध्यक्ष, निराकरण बोर्ड
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दक्षिण-पश्चिम जिला, द्वारका न्यायालय, नई दिल्ली।

10020-10040

संख्या.................... देख- रेख शाखा/द्वारका न्यायलय/नई दिल्ली/2024 **दिनांक**......18/3/24

प्रति सूचना एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित :-

1. निजी सचिव कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला दक्षिण-पश्चिम, द्वारका न्यायालय, नई दिल्ली।
2. सभी शाखा प्रभारी, कंप्यूटर शाखा, जिला केंद्रीय, पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिण-पूर्व, नई दिल्ली, शाहदरा, उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, आरएसीसी, दिल्ली से अनुरोध है कि नीलामी सूचना एवं नियम व शर्तें अपनी सम्बंधित वेबसाइट पर अपलोड करें।
3. सभी शाखा प्रभारी, देख-रेख शाखा, जिला केंद्रीय, पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिण-पूर्व, नई दिल्ली, शाहदरा, उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, आरएसीसी, दिल्ली से अनुरोध है कि नीलामी सूचना को सम्बंधित सूचना- पट्ट पर चिपकायें।
4. प्रभारी, नजारत शाखा, जिला न्यायालय द्वारका से अनुरोध है कि मायापुरी स्क्रैप मार्केट के क्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर नीलामी नोटिस की प्रतियां चिपकाने के लिए सम्बंधित प्रोसेस सर्वर को निर्देशित करें।